



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 13.12.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 191/2025 धारा
115(2)/140(1)/109 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.07.2025 को थाना दोघट पर वादी वेदपाल पुत्र नामालूम निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.डा० अय्युब पुत्र नामालूम 2.सुनील पुत्र नामालूम व 02 महिलाओं



द्वारा वादी के पुत्र सन्नी के साथ जो अपने गांव कन्डेरा से हरिद्वार जाते समय कांगरान गढ़ी अड़डा के पास मारपीट करते हुए उठाकर ले गये एवं चारों ने मिलकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया। घायल को सीएससी बिनौली ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 191/2025 धारा 115(2)/140(1)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 191/2025 धारा 108 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 109 बीएनएस को धारा 103(1) बीएनएस तथा धारा 103(1) बीएनएस को धारा 108 बीएनएस में परिवर्तित किया गया है। उक्त अभियोग में पूर्व में 02 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुशील पुत्र सोहिन्द्र निरोग्राम गढ़ी कांगरान थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.एसओ श्री सूर्यदीप सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2.उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3.है0का0 280 कपिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5.है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-13.12.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 22 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 22 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमर पुत्र चन्द्राश निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 22 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुरेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 644 रामटाईगर थाना दोघट जनपद बागपत।

3-है0का0 301 जितेन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत।

4-है0का0 352 गोविन्द थाना दोघट जनपद बागपत।